International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 11 No. 5 May-June 2024

भारत में महिला श्रमिक कानूनों में डॉ. भीमराव आंबेडकर का योगदान

डॉ. देवेन्द्र कुमार बघेल
पीएच. डी. (शिक्षाशास्त्र एवम् इतिहास), असिस्टेंट प्रोफेसर
अशोक पी.जी.कॉलेज, गंज मुरादाबाद, उन्नाव (उ. प्र.)
Corresponding Author - डॉ. देवेन्द्र कुमार बघेल
DOI- 10.5281/zenodo.12799298

प्रस्तावना:

अपने कठिन श्रम, त्याग, बलिदान एवं लगन के बल पर जिन महापुरुषों ने समय-समय पर इतिहास के लोगों का निर्माण किया है, उनमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सर्वोपर एवं सर्वश्रेष्ठ है।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार का कार्य करते हुए श्रमिकों की समस्याओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। भारत में श्रमिकों एवं श्रमिक आंदोलन का अपना एक पृथक स्वरूप एवं एक अलग इतिहास रहा है। यूरोप या अन्य देशों में चल रहे श्रमिक आंदोलन का स्वरूप यहां से भिन्न है। उन देशों के श्रमिकों की एक ही समस्या है। वह है आर्थिक समस्या। परंतु भारतीय संघ का की दो प्रकार की समस्याएं हैं: एक आर्थिक क्षेत्र की दूसरी सामाजिक क्षेत्र की।

डॉ भीमराव अंबेडकर ने जीवन का एक बड़ा भाग श्रमिकों के बीच में बिताया था। अतः वे उनकी समस्याओं, आकांक्षाओं अपेक्षाओं और मजबूरी से अच्छी तरह अवगत थे। बचपन में वह मिलो में श्रमिकों का खाना देने भी जाते थे। वह श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए थे ही और उन्होंने कुछ हड़तालों का संचालन भी किया था। केंद्रीय परिषद की सदस्यता के दौरान जब वह एक बार धनबाद गए थे तो श्रमिकों के घरों में घुस- घुस कर उन्होंने उनके रहन- सहन की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया। यह उनकी श्रेणियां के प्रति नजदीकीपन का एक मापदंड है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

डॉ भीमराव अंबेडकर के श्रम सदस्य बनने के बाद संपूर्ण देश के श्रमिकों की भलाई के लिए कई कानून बनाए थे। उनमें श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा योजना, खानों में सुधार आदि शामिल थे। खानों में कोयला, अभ्रक, नमक, शोरा, सोना आदि जो भी वस्तु खानों से निकल जाती थी, सभी की खान धनबाद, आसनसोल आदि की कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा बहुत ही खराब थी। उन श्रमिकों से जानवरों से भी बुरा काम लिया जाता था। श्रमिकों की मौत की कोई परवाह नहीं करता था। ठेकेदारों के दलाल तो लुटते- खसूटते ही थे लेकिन खानों के मालिक भी उनका मनमाना शोषण करने में सिद्ध हस्त थे। अगर कोई श्रमिक बीमारी या मौत के कारण काम नहीं करता था तो आग की भट्टी में झोंक दिया जाता था। रजिस्टर में इनका वेतन कुछ लिखा होता था और देते समय कुछ और ही देते थे।

डॉ भीमराव अंबेडकर ने खान श्रमिकों की भलाई, उनकी सुरक्षा और उनके वेतन के सुरक्षा संबंधी कानून बनाए। इन खानों में ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूमिहीन श्रमिक थे। बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ और गोरखपुर तथा पश्चिम बिहार, मुजफ्फरपुर आदि जिलों के लोग खानों में काम करते थे। उनके वेतन की सुरक्षा के लिए 1944 ईस्वी में गोरखपुर में लेबर डिपो खोला गया। उस डिपो का काम था, खानों के मालिकों से खान श्रमिकों के वेतन के बहुत बड़े भाग को डिपो में जमा करवरकर उसे श्रमिकों के परिवारों के सदस्यों को दिलवाना। खान के सारे श्रमिकों का वह वेतन जो लाखों में लिया जाता था, उसे डिपो में खुले श्रमिकों के खाते में जमा किया जाता था और फिर डिपो के द्वारा वह पैसा श्रमिकों या उसके परिजनों को दिया जाता था। वह डिपार्मेंट डायरेक्टर जनरल ट्रेंनिंग एंड एंप्लॉयमेंट, लेबर मिनिस्ट्री नई दिल्ली में आज भी कार्य कर रहा है।

डॉ भीमराव अंबेडकर से पूर्व दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का अपना कोई संगठन नहीं था। सफाई कर्मचारियों की अवस्था बड़ी दीन- हीन थी। नगर पालिका में नियुक्त सफाई कर्मचारियों की बड़ी दुर्दशा थी। उसे 15 दिन के लिए जेल भिजवा दिया जाता था। दिल्ली और नई दिल्ली की नगर पालिकाओं का यही नियम था। उनकी भर्ती के समय ठेकेदार लोग उनका खूब शोषण करते थे। उन्हें कभी पूरा वेतन नहीं मिलता था। बाबा साहब प्रथम थे, जिन्होंने इन दुखी और दीन- हीन श्रमिकों की भलाई के लिए कई कानून और नियम बनाए। उन्होंने उस समय नगरपालिकाओं में प्रचलित कानूनो को रद्द कर दिया। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए ऐसे कानून बनाए जिनसे इन्हें नगर पालिका में स्थाई नौकरी मिले।

"मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं लड़ाई में समर्पण नहीं करूंगा बल्कि भारत में श्रमिक हितों की सुरक्षा और विकास के लिए मैं कार्यकारिणी परिषद में स्वयं को दाव पर लगा दूंगा। इस विषय में आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस संबंध में लड़कपन नहीं दिखाऊंगा। मैं अपना त्यागपत्र अपनी जेब में तैयार रखना हूं। मैं अल्प मतभेदों के हर बिंदु पर अपने साथियों का मुकाबला करने में सक्षम हूं। मेरी चिंता यह है कि दलित वर्ग आंदोलन को दूसरे समुदाय के श्रमिक वर्गों के साथ एक ही मोर्चे पर लड़ना चाहिए।

भारतीय नाविकों की स्थिति पर चर्चा करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारतीय नाविक भारत की श्रमिक आबादी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ग बनते जा रहे हैं। एक विशाल समुद्र तट के साथ भारत की महानतम आवश्यकता नौ सेना है और भारत के नौ सेना तथा भारतीय वाणिज्यिक जहाज बड़े भारतीय नाविकों की स्थिति अवश्य ही महान होगी।

राष्ट्रीय नाविक संघ के श्री ए एच मिर्जा और खान साहब एम ई सारंग ने भारतीय नागरिकों की कुछ समस्याओं का उल्लेख किया, जैसे मानवीय वेतनमान का अभाव, जहाज पर काम के घंटे का निर्धारण का अभाव और प्राकृतिक कर्म से मृत्यु की स्थिति में नागरिकों के लिए छतिपूर्ति के भी प्रावधान का अभाव। इस युद्ध में भारतीय नाविकों द्वारा प्रस्तुत सेवाओं की चर्चा की कि कम से कम बीस हजार भारतीय नाविक महासमुद्र में है और 1936 ईस्वी के अंतरराष्ट्रीय तटवर्ती सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसमर्थन की मांग की।

28 जुलाई 1928 को भीमराव अंबेडकर का नाम विधान परिषद के लिए अनुमोदित किया था। उन्होंने विधानसभा में जोर-जोर से कामकाजी गर्भवती महिलाओं को सुविधा देने का समर्थन किया। उन्होंने कहा " हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अवकाश माता एवं बच्चों के स्वास्थ्य लाभ हेतु दिया जाता है "। उनके प्रयास का यह नतीजा निकला कि अंत में महिलाओं को प्रस्तुति पूर्व अवकाश का अधिकार दिया गया।

प्रथम कारखाना अधिनियम 1881:

यह अधिनियम उन कारखानो पर लागू होता था, जहां 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते थे। इसके द्वारा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की अवस्था को नियमित किया गया तथा सुधारा गया। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे वहां कार्य नहीं कर सकते थे। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य के घंटों को सीमित किया गया और यह भी कहा गया की खतरनाक मशीनों के चारों ओर भाड़ा (जाली) लगनी चाहिए। अधिनियम के पालन हेतु निरीक्षक नियुक्त किए गए। भारत के औद्योगिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। यद्यपि यह सीमित ही था।

द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891:

इसके अंतर्गत महिला श्रमिकों के कार्य करने का समय 11 घंटे निश्चित कर दिया, जिसमें डेढ़ घंटे का मध्यावकाश निश्चित किया गया। बच्चों के काम करने के लिए न्यूनतम आयु 7 और 12 वर्ष से बढाकर 9 और 14 वर्ष कर दी गई। यह अधिनियम कारखाना कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इसके कई वर्ष बाद फ्रियर स्मिथ तथा फैक्ट्री लेबर कमीशन की रिपोर्ट के परिणाम स्वरुप सन 1911 ईस्वी में इसे दूसरा रूप दिया गया। यह अधिनियम वास्तव में बीसवीं शताब्दी की देन है। इसके पहले के नियम बहुदा नियोजक के पक्ष में थे। सन 1929 में पुनः रॉयल कमीशन गठित कर कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों की दशाओं तथा उसमें यथा साध्य किए जाने वाले सुधारो पर अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन सरकार को देने का काम सोपा गया। इसके फलस्वरूप 1934 ई का कारखाना अधिनियम सामने आया। अंतिम रूप इसे 28 अगस्त 1948 को प्राप्त हुआ। 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ।

कारखाना अधिनियम 1948:

1. इसके अधीन मौसमी तथा अमौसमी कारखानों में भेद मिटा दिया गया।
2. स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण विषयक कारगर उपलब्ध किए गए जिससे कि श्रमिकों की कार्य क्षमता बनी रहे तथा उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। धूल तथा अन्य चीजों को बाहर करने के साधनों को रखना अपेक्षित किया गया।
3. कारखाना- स्थल, उसके कार्य का प्रारंभ, उसकी पंजीकरण तथा लाइसेंस आदि की निगरानी रखना।
4. बाल श्रमिकों की आयु, कार्य हेतु 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष कर दी गई। किशोरावस्था की आयु 15 - 17 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई।
5. शाम 7:00 बजे से प्रातः 8:00 के बीच बालको तथा स्त्रियों को काम पर रखना वर्जित तथा उनके काम के घंटे में भी कमी की गई।

श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा:

श्रमिकों के जिसमें पुरुष, महिला तथा तरुण सम्मिलित हैं, कल्याण का हमारे संविधान निर्माताओ ने विशेष ध्यान रखा, उन्होंने पूंजी के साथ श्रम के महत्व को समझा तथा उनके कल्याण के लिए अनुच्छेद 38, 42, 43 तथा 47 में विशेष उपबंध किए। संविधान की भावनाओं के अनुकूल बहुत से अधिनियम पारित और लागू किए गए, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के हैं, उनमें कारखाना अधिनियम 1948, ठेका श्रम विनियमन एवं उत्पादन अधिनियम 1970, अनुसूचित उद्योगों के विनियमन के लिए "द इंडस्टरीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 1951, अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बाल श्रम प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अधिनियम 1986, इक्वल रेक्यूनरेशन अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूर प्रथा अधिनियम 1976।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम श्रमिकों के कल्याण के साथ ही सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिनियम है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1961, कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि जमा संबंध बीमा अधिनियम 1952, बोनस भुगतान अधिनियम 1950, न्यूनतम वेतन अधिनियम, पेमेंट आफ ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 आदि अधिनियम लागू किए गए, जिसका उद्देश्य यह था कि नियोजन के पश्चात वृद्धावस्था में श्रमिकों को दूसरों पर मुखापेक्षी होने के लिए विवश न होना पड़े।

शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23:

अनुच्छेद 23 के अनुसार:

मानव दुर्व्यापार, जिसमें केवल मनुष्य या स्त्रियों का वस्तुओं की बात क्रय - विक्रय ही शामिल नहीं बरन इसमें स्त्री और बच्चों का अनैतिक व्यापार करना और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करना भी शामिल है।

यद्यपि दास- प्रथा का इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है किंतु मानव दुर्व्यापार शब्दावली में यह अन्य संदेश रूप से शामिल है। अनुच्छेद 35 के द्वारा संसद को अनुच्छेद द्वारा वर्जित कार्यों के करने के लिए कानून बनाकर दंड देने की व्यवस्था की शक्ति प्राप्त है। अपनी इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम-1986 पारित किया है।

अनुच्छेद 23 का संरक्षण नागरिकों एवं अनागरिकों दोनों प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद द्वारा केवल बेगार ही नहीं बल्कि अन्य इसी प्रकार के बलपूर्वक की जाने वाले श्रम का प्रतिषेद किया गया है। भारतीय समाज में जमींदार, राजा, नवाब या अन्य शक्तिशाली या समृद्ध लोग कमजोर तथा गरीबों से बेगार कराते हैं और उन्हें मेहनताना भी नहीं देते थे। निर्धनता के कारण लोग धन लालच में मनुष्यों का क्रय विक्रय भी किया करते थे। वस्तुतः इन अमानवीय प्रथाओं को दूर करना अत्यंत आवश्यकता था। इसलिए संविधान में इन उपबंधों का समावेश किया गया। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति व वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 24:

"14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम पर नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा"

भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधक मजदूरी के रूप में प्रसिद्ध था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975- 76 में कुछ कदम उठाए गए ।वस्तुतः शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।

कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923:

इस अधिनियम के पूर्व कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए प्रतिकर देने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम - 1885 पारित किया गया था। वह मृतप्राय इसलिए था क्योंकि साक्ष्यों के अभाव में नियोजकों को दायित्वाधीन करना न्यायालय के लिए कठिन पड़ता था। भारत में 1930 में यह अधिनियम पारित करके 1 जुलाई 1924 को लागू किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित "प्राणघातक दुर्घटना अधिनियम" भारतीयों के लिए प्रेरणादायक तथा मार्गदर्शन रहा है, जिससे कार्यवधि में हुई घटनाओं के लिए नियोजक को उत्तरदाई माना जाता था। स्थाई अपंगता या मृत्यु के लिए 20000 रुपए तथा 24000 रुपए के स्थान पर क्रमशः यह राशि 90 हजार और ₹100000 होगी।।इसके साथ ही अब ₹1000 मासिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारी भी इस प्रतिकार की परिधि में आ जाएंगे।

पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम 1936:

पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम - 1936 उद्योग में नियोजित कुछ वर्गों के लोगों के पारिश्रमिक भुगतान को नियमित करता है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम द्वारा संयुक्त नियोजितों को प्रदेय मजदूरी निर्धारण अवध में ही वितरण कर दी जाती है और अधिनियम में अधिकृत कटौतियों को छोड़कर अन्य कटौतियां नियोजक द्वारा नहीं की जाती हैं। किसी भी फैक्ट्री, रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे में नियोजित व्यक्तियों के लिए चाहे सीधी भर्ती हुई है या उप ठेकेदारों के माध्यम से यह अधिनियम लागू होता। राज्य सरकारों को इस प्रकार अन्यत्र लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिससे किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठान समूह में नियोजित व्यक्ति उसकी परिधि में आ जाए। इस अधिनियम के लागू होने की कसौटी के लिए मजदूरी सीमा ₹1600 प्रतिमास है

मजदूरी भुगतान का समय:

मजदूरी अवधि के सातवें या दसवें दिन के बाद ही मजदूरी का भुगतान कर देना नियोजक तथा संबंधी उत्तरदाई का कर्तव्य होता है।

१. मजदूरी नगद रूप में प्राप्त हो।

२. मजदूरी दैनिक प्राप्ति या साप्ताहिक या मासिक हो, अर्धवार्षिक या वार्षिक नहीं।

३. मजदूरी चालू सिक्के या पत्र मुद्रा में हो।

कटोतियां:

श्रम कल्याण हेतु।

प्रधानमंत्री सहायता कोष हेतु।

काम से अनुपस्थित होने पर, जब प्रार्थना पत्र न दिया गया हो

आयकर हेतु की गई कटौती।

भविष्य निधि हेतु की गई कटौती।

जीवन बीमा हेतु की गई कटौती।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 43 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह कर्मकार को काम निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और उसका संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा।

इस अधिनियम के सन 1948 ईस्वी में पारित किए जाने के पूर्व श्रमिकों की दशाओं, उनकी अन्य सुसंगत परिस्थितियों तथा आवश्यक सुधार लाने की दिशा में कदम उठाए गए। यह केंद्रीय सरकार द्वारा पारित है, लेकिन इसे राज्य सरकारें भी लागू कर सकती हैं।

उद्देश्य:

इसका प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों की दयनीय दशा में समुचित सुधार लाना, न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें अपनी कार्य क्षमता कायम रखने का अनुकूल अवसर देना है। अब इस अधिनियम के पारित हो जाने से कोई भी नियोजन किसी श्रमिक से वैयक्तिक संविदा, न्यूनतम मजदूरी लेने के लिए बाध्य और मनवाने ढंग से उसका शोषण नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य पूंजी पत्तियों, मिल मालिकों आदि से कम संगठित, कम सुविधा प्राप्त समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को शोषण से बचाना है। न्यूनतम मजदूरी संगठित करने के दो उद्देश्य हैं-

१. श्रमिक अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हो।

२. वह अपनी कार्य क्षमता बनाए रख सके।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 39 के तहत स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने का आदेश देता है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम - 1948:

यह अधिनियम 1 अप्रैल 1948 को लागू हुआ। कर्मचारियों के लिए यह एक हितकारी विधेयक है। चूंकि कर्मकारों की अस्वस्थता, प्रसूति एवं नियोजन- क्षति की स्थिति में हित लाभों का उपबंध करने के लिए यह अभीष्ट है, यह एतद्वारा निम्न प्रकारेण अधिनियमित पारित किया गया है। कर्मचारियों के उन दिनों का ध्यान रखकर उनके लाभार्थ यह अधिनियम पारित किया गया, जब वह अस्वस्थ रहने या कम पर ना आने की व्यवस्था में हो, जैसे प्रसूति कल में नियोजित महिलाएं काम पर नहीं आ सकती, नियोजन क्षतिपूर्ति भी इसके उद्देश्य का प्रमुख अंग है। इसके दो प्रकार के लाभ मिलते हैं-

१. धन संचय की आदत बनती है।

२. संचित राशि देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है। संकट के समय कर्मचारी स्वयं को निःसहाय नहीं पाता। इसे बीमाकृत होने का लाभ मिलता है। हित - लाभों के किसी भी रूप में इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भी उद्योग में छोटे-बड़े कोई भी विनिर्माण करने में, व्यस्त काम करने वाले कर्मकारों को समान रूप से लाभान्वित करता है। इस अधिनियम से देश के कर्मकार निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं।

उन व्यक्तियों की जो नियमित आय पर आश्रित है, बीमारी, निर्योग्यता, प्रसूति, वृद्धावस्था, बेरोजगारी आदि के कारण आय के विवधान की समस्या गंभीर है। हर जगह औद्योगिक कर्मकार इस समस्या से ग्रस्त होते हैं। जब तक इन स्थितियों से निपटने के लिए संतोषजनक प्रावधान नहीं बन जाता, तब तक कर्मकार आर्थिक असुरक्षा के भय से आक्रांत रहेंगे और इन स्थितियों में से किसी एक के गंभीर घटित होने पर उनके परिवारों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी भुखमरी के कगार पर। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध अधिकांश देशों में अनिवार्य सामाजिक बीमा योजनाओं के माध्यम से इन खतरों के लिए प्रावधान किए गए हैं। गंदगी, अज्ञानता और काहिलपन द्वारा कारित राष्ट्रीय गरीबी के फल स्वरुप पड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाली बुराइयों के उपचार को उपबंधित करने की नीति का परिणाम है।

घातक दुर्घटना अधिनियम- 1855:

प्रारंभ में घातक दुर्घटना के होने पर नियोजक के उत्तरदाई न माने जाने के कारण उसके अधीन काम करते हुए मृत्यु हो जाने पर मृतक कर्मकारों को कुछ भी पाने का अधिकार नहीं था। उनकी इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से घातक दुर्घटना अधिनियम पारित हुआ।

इसका उद्देश्य उन कर्मकारों को लाभान्वित करना है, जिन्हें क्षतिपूर्ति पाने का पहले अधिकार नहीं था। कर्मकार की मृत्यु के पश्चात मृतक के वैद्य वारिसो को यह अधिकार प्रदान किया जाता है ताकि वे मृतक की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकें। दावेदार मृतक के वह संबंधी होते हैं जो उसकी मजदूरी पर आश्रित हो।

क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी निम्न हैं -

मृतक की पत्नी:

यदि मृत्यु के समय महिला का पति से संबंध रहा हो, चाहे वह कर्मकार हो या ग्रहणी।

पति:

पत्नी की मृत्यु हो जाने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार उसके पति को मिल जाता है।

माता-पिता:

मृतक के माता-पिता भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं चाहे वह धनोपाजर्न करते हो या नहीं। दादा - दादी भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं।

संतान:

मृतक की अविवाहित संतान क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रसूत प्रसुविधा अधिनियम- 1961:

आजकल हम देखते हैं कि बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में महिलाएं भी नियोजित हैं। साधारण कार्यों से लेकर कल कारखानों और राजनीति में महिलाओं का प्रवेश हो चुका है। स्त्री अधिकारों में निरंतर वृद्धि हो रही है।

अनुच्छेद- 3 राज्य को काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता की उपलब्ध के लिए निर्देश देता है।

अधिनियम का प्रवर्तन:

धारा 2 के अनुसार सर्वप्रथम यह अधिनियम सरकार के अधीन स्थापनों समेत सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में लागू किया जाएगा।

उद्देश्य:

सामाजिक एवं प्राकृतिक न्याय का तकाजा है कि प्रसव कार्य सकुशल संपन्न करने तथा कुछ समय नवजात शिशु की देखरेख तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें विश्राम

दिया जाना अनिवार्य होता है ताकि वह अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लें। प्रसव के लिए सब मिलाकर तीन माह के अवकाश का प्रावधान है। प्रसव के 6 सप्ताह पूर्व तथा 6 सप्ताह बाद ऐसे विशेषाधिकारों के अभाव में न केवल गर्व स्थित अपत्य पर ही कुप्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। अपितु प्रसव के बाद भी कितनी नारियों तथा नवजात शिशुओं का असमय ही काल कवलित होना प्रायः निश्चित होता है। इस नियम के न होने पर नियोजक उसकी अनुपस्थिति के दिनों का वेतन काट या उन्हें निकाल भी सकता है। स्त्री को इस प्रकार सुविधा देना ही इस अधिनियम का उद्देश्य है ताकि किसी प्रकार का व्यवधान प्रसव काल में ना हो और वह कार्य सकुशल संपन्न हो सके। साथ ही महिला नियोजिती को अपने पद से हटाए जाने का भाई ना रहे।

१. मृत शिशु पैदा होने पर मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

२. जब स्त्री प्रसव अवकाश पर हो तब वह अन्यत्र काम नहीं कर सकती।

३. प्राकृतिक गर्भपात होने पर यह सुविधा लागू होगी, किंतु यह सुविधा केवल 6 सप्ताह की होगी।

४. यदि प्रसव के 6 सप्ताह बाद भी वह स्वास्थ्य लाभ करने की आवश्यकता महसूस करती है अथवा गर्भ, प्रसूति, समय पूर्व प्रसव, गर्भपात या नसबंदी के परिणाम स्वरुप उत्पन्न बीमारी के कारण काम पर नहीं आती तो उसे सवेतन एक माह का अतिरिक्त अवकाश मिलेगा।

५. यदि नियोजक मुफ्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं करता है तब उसे ₹1000 महिला को अतिरिक्त लाभ देना होगा।

केंद्र सरकार अब 6 सप्ताह के स्थान पर 6 माह का मातृत्व अवकाश करने पर विचार कर रही है क्योंकि डॉक्टर नवजात शिशुओं के लिए कम से कम 6 माह तक मां के सानिध्य पर जोर देते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए 6 माह का मातृत्व अवकाश जरूरी है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेणुका चौधरी ने कहा कि बच्चों से जुड़े कानून में सरकार सुरक्षात्मक पहल के साथ ही जरूरी मामलों में निरोधात्मक प्रावधान भी करेगी।

बंधुआ श्रमिक प्रथा निवारण अधिनियम - 1976:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 23(1) में प्रावधान ' मानव दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम का प्रतिषेध हो।' अमली जामा पहनाने का उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1975 को भारत के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने एक अध्यादेश जारी किया जिसने बंधुआ मजदूर प्रथा अधिनियम - 1976 का रूप लिया और 9 फरवरी 1976 को संपूर्ण देश में लागू हुआ। उसने उसे प्रथा को समाप्त किया जिसके अंतर्गत लिए गए ऋण की अदायगी ना होने तक पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूर रूप में काम लिया जाता था और उसके बदले बहुत ही काम मजदूरी दी या नहीं दी जाती थी। इस अधिनियम के लागू होने पर सभी बंधुआ मजदूर अपने ऋणों से मुक्त मान लिए गए। संविधान के अनुच्छेद - 35 में ऐसी प्रथा को दंडनीय बताया गया है। ऐसे श्रमिकों की संपत्ति बंधक आदि से मुक्त मानी गई। इस प्रकार समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए यह आर्थिक सामाजिक न्याय वाला अधिनियम है

बंधुआ श्रम श्रमिक प्रथा के अंतर्गत किसी से सेवा या श्रम लेना बंधुआ श्रम मजदूरी है। बंधुआ श्रमिक से ऐसा श्रमिक अभिप्रेत है जो बंधुआ ऋण लेता है।

धारा - 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस प्रथा के अनुपालन में एग्राम राशि नहीं देगा या किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य नहीं करेगा।

बंधुआ मजदूरी करने वाले को 3 वर्ष की सजा तथा ₹2000 जुर्माना होगा।

धारा - 16 में सरकार ठेका श्रमिकों के कल्याण तथा स्वास्थ्य के जलपान ग्रहण की व्यवस्था के लिए नियोजकों को आदेश देती है।

धारा - 18 विश्राम कक्षों रात में ठहरने के लिए आवास कक्ष, पेयजल, शौचालय, स्नान ग्रह आदि सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

धारा - 21 मजदूरी का भुगतान ठेकेदारों पर होता है इसमें अधिसमय भुगतान भी देना होगा। कम भुगतान होने पर नियोजक (प्रधान) को देना होगा।

अधिनियम के विरुद्ध भरती, पारिश्रमिक में असमानता, जब कार्य समान हो कर्मकार महिला हो या पुरुष, सरकार के निर्देशों का पालन करने वाला नियोजक ₹10- 20 हजार तक आर्थिक दंड या 3 से 12 माह तक कारावास या दोनों से दंडित होगा।

बाल श्रम अधिनियम- 1986:

यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। बाल श्रमिकों के नियोजन को निश्चित करने की दिशा में यह एक सार्थक एवं उठाया गया ठोस कदम कहा जाता है। इसका

मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों से काम लेना तथा उस पर प्रभावी रोक लगाना है। पंद्रह वर्ष तक के बालको से काम नहीं लिया जा सकता है।

बालश्रम संबंधी समस्या का इतिहास लंबा और पुराना है। प्राचीन काल से ही यह प्रथा लागू थी। अनेक क्षेत्रों में बाल श्रमिकों से कार्य लिया जाता था। "अधिकतम काम - न्यूनतम से न्यूनतम दाम", सिद्धांत प्रचलित था। इसका मुख्य कारण सामाजिक आर्थिक असमानता थी।

बुनाई एवं कालीन उद्योग में तो बाल श्रमिक बधुआ श्रम की तरह काम करते हुए अधिकता में पाए जाते हैं, ऐसे श्रमिकों को सरकार मुक्ति दिलाती है।

भारत में बाल श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आई एल ओ की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई देशों में बाल श्रमिकों की समस्या काफी गंभीर है, इन देशों में 10 से 14 वर्ष तक की उम्र के करीब 18% श्रमिक कार्यरत हैं। इस समय दुनिया में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा बाल श्रमिक है।

राजीव गांधी सरकार ने 12 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा करके इस समस्या के समाधान हेतु कुछ व्यावहारिक तथा ठोस कदम उठाने का प्रयास किया। शोषण से मुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 11 करोड रुपए व्यक्त करने का प्रावधान भी किया गया।

उपबंध:

अधिनियम की धारा- 7 के अनुसार शाम 7:00 से प्रातः 8:00 बजे तक बालक से कार्य नहीं लिया जा सकता।

धारा- 8 किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत बालक सप्ताह में पूरे 1 दिन की छुट्टी प्राप्ति का अधिकारी होगा।

धारा - 3 के विपरीत जो नियोजक बालक को काम पर नियोजित करेगा। वह 3 महीने से एक वर्ष तक कारावास की सजा अथवा 10-20 हजार रूपए आर्थिक दंड अथवा दोनों का भागीदार हो सकता है।

मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट - 1961:

इस एक्ट की धारा- 21 के अनुसार कोई भी बालक 14 वर्ष से कम है, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम नहीं करेगा न हीं उससे अपेक्षा की जाएगी। फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा- 67 भी यही कहती है।

अनुच्छेद- 24: 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने अथवा खान या किसी जोखिम भरे कार्य में लगाने का प्रतिषेध करता है। इसका उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है क्योंकि बालक देश के भावी नागरिक हैं इसलिए संविधान के अनुच्छेद - 39 धारा राज्य पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखें और इस बात को याद रखें की आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर अपनी आय एवं शारीरिक क्षमता को हानि पहुंचाने वाले पेशे को न अपनाएं।

संविधान की उद्देशिका ही इस बात को स्पष्ट करती है कि हमारा कल्याणकारी और समाजवादी राज्य होगा। इसमें सभी नागरिकों को आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाने के आदर्श प्रावधान अंतर्निहित हैं। संविधान सरकार को अधिकार प्रदान करता है कि वह व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग सामाजिक हित विरुद्ध किया जाय तो वह अंकुश लगाए और समाज को भी बाध्य करे कि व्यक्ति की गरिमा, हित आदि का ध्यान रखें।

संदर्भ ग्रंथ:

1. जय नारायण पांडे, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2003, पृष्ठ संख्या 1.
2. बी एल ग्रोवर, आधुनिक भारतीय इतिहास, एस चंद्र एंड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, वर्ष 2006, पृष्ठ संख्या 347.
3. डीडी बसु, भारत का संविधान- एक परिचय, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2002 पृष्ठ संख्या 114.
4. इंद्रजीत सिंह, श्रमिक विधियां, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, वर्ष 2008, पृष्ठ संख्या 15.
5. डॉ पुखराज जैन, भारतीय संविधान की रूपरेखा, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 1995 पृष्ठ संख्या 89.
6. भारत में श्रम पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट, पृष्ठ संख्या 208.
7. लेबर लॉ रिफ्रेशर, 2004 पृष्ठ संख्या 88 ,सेंट्रल पब्लिकेशन ब्रांच, कोलकाता, भारत
8. रामगोपाल सिंह, डॉ अंबेडकर का सामाजिक चिंतन, जैन ब्रदर्स, जयपुर, वर्ष 1994, पृष्ठ संख्या 104.
9. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, भारतीय श्रमिक आंदोलन - दशा, दिशा और दलित प्रत्यक्ष अध्यक्षीय भाषण जी आर पी रेलवे दलित वर्ग कामगार सम्मेलन, मनमाड़, नासिक, अनुवादक माननीय रामगोपाल आजाद, संता प्रकाशन, नागपुर, वर्ष 2006, पृष्ठ संख्या 30- 31.

10. के आर कॉमर्स, पॉलीटिकल थॉट ऑफ़ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर इंटेलेक्चुअल, पब्लिकेशंस हाउस, नई दिल्ली, 1992.
11. बी आर सापला, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, प्रीतम प्रकाशन, जालंधर, पंजाब, वर्ष 2003, पृष्ठ संख्या 63.
12. डीडी दींकर, डॉ अंबेडकर स्मृति ग्रंथ, बौद्ध सत्य प्रकाशन, लखनऊ, वर्ष 1994, पृष्ठ संख्या 137.
13. चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, बाबा साहब का जीवन संघर्ष, बहुजन कल्याण प्रकाशन, लखनऊ, वर्ष 1965, पृष्ठ संख्या 134.
14. देवेंद्र कुमार बसंती, भारत के सामाजिक क्रांतिकारी, दलित साहित्य प्रकाशन, संस्था नई दिल्ली, वर्ष 2004 पृष्ठ संख्या 185.
15. डॉ डी आर जाटव, डॉ अंबेडकर का मानववादी चिंतन, संता साहित्य सदन, जयपुर, वर्ष 1993, पृष्ठ संख्या 37-38.
16. संदेश पत्रिका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लखनऊ, वर्ष 1991, अप्रैल अंक 4, पृष्ठ संख्या 44.
17. शांति स्वरूप बौद्ध, "ऐसे थे हमारे बाबा साहब" सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ संख्या 127.
18. धनंजय डॉक्टर अंबेडकर लाइफ और मिशन, दूसरा संस्करण, 2000, पृष्ठ संख्या 140.
19. बौद्ध शिल्प्रिया, पूना पैक्ट क्यों क्या और किसके लिए, पृष्ठ संख्या 54.
20. अंबेडकर चित्रमई जीवन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 27.
21. नानक चंद रतु लास्ट फ़्यू ईयर्स ऑफ़ डॉ आंबेडकर, पृष्ठ संख्या 86.
22. पटोरी राजेंद्र, अंबेडकर चित्रमई जीवन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, वर्ष 1996, पृष्ठ संख्या 15.